अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15-2-18
को पेश हो। 8

15-2-18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर हैं। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20-3-18 को पेश हो। 8

20.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे / अवकाश पर हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 29.5.18 को पेश हो।

29.5-18 पत्रावली राजस्व अदालत कैम्प गोठडा में पेश हुई
लक्ष्मण आवेदक, अनावेदक व वकील पक्षकारान उपस्थित।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आ० प० के अनुसार ग्राम गावड़ी की भूमि खाता 6 में 30 के ख.नं. 71/0.19, 171/0.19 176/0.14, 178/1.25, 461/165/0.09 किता 5 कुल रकबा 1.86 हे० भूमि आवेदक के स्वयं मित्वाधिकार की भूमि खाता सं 110 के ख.नं. 163/0.22, 457/162/0.02 किता 2 कुल रकबा 0.24 हे० जिसमें आवेदक का 1/6 हि 1/6 हि अना० नं. 43 हि अना० नं. 6 ल० 13 का है खाता सं 112 में भूमि खाता 69/0.16 हे में आवेदक का हिस्सा 1/4 है अना० नं. 192 का 1/4 तथा 1/2 हि अना० नं. 45 ल 5 का है तथा खाता सं. 131 में ख.नं. 70/0.15 हे में आवेदक का 1/4 हिस्सा अना० 192 का 1/4 अना० नं. 45 ल 5 1/2 है। विवाद भूमि अना० नं. 6 ल० 13 की है। प्रति सुमारिया बल्द शोभाराम की है उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को आवेदक स्वयं काश्त करता है अना० नं. 1 बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो जबरन आवेदक के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है आवेदक द्वारा अपने हक हिस्से में बनाये गये मकानों से विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लेना चाहता है। अनावेदक ने दि 20.1.16 को धमकी दी की जबरन विद्युत कनेक्शन लेना जबरन कब्जा करूंगा। अतः न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को मना करने की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाये।

प्रा० प० प्रस्तुत होने पर उर्जा पंजिका लिया गया
[illegible] द्वारा जवाब प्रा० प० प्रस्तुत में
प्रा० प० तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा वर्णित
किया कि आवेदकगण की पैतृक संयुक्त परिवार
की सम्पत्ति है जिसमें अनावेदकगण का जन्मजात हक अधिकार है
तथा विपक्षी के नाम शेष भूमि में 1/8 हिस्सा है
[illegible] तथा विवादित भूमि खाता 176/0.14
में अपने निर्वाह के लिए मकानात बना रखे हैं जिसमें
[illegible] लोगों का अधिकार है आवेदक आदि
[illegible] को पहुंचाने नहीं बनाया गया है। अनावेदक
ने विवादित भूमि के संबंध में दूसरा वाद पेश किया है
[illegible] वाद में कोई कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा
नहीं बनती न गठित करती है अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाये।

जवाब प्रा० प० प्रस्तुत होने पर आवेदक, अनावेदकगण
[illegible] पक्षकार को सुनागया पत्रावली का अवलोकन
किया। प्रा० प० तथ्यों के संबंध में न्यायालय द्वारा
[illegible] प्रा० प० 0161/2013 लक्ष्मण बनाम मोहन विचारधीन
है जिसमें उपरोक्त वर्णित तथ्य व वादग्रस्त
भूमि समान होने से दोनों पक्षों आवेदक व
अनावेदकगण को तारीखेसमा वाद मोका व रिकार्ड की
यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया गया है। अतः दोनों प्रकरणों में
वाद ग्रस्त भूमि समान व एक समान वस्तुओं
होने से वाद प्रा० प० में 8 गवाह अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा दि० 22.1.16 को सुनकर की जा चुकी है
तथा आवेदक व अनावेदकगण को तारीखेसमा दावा
मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है
[illegible] 66 क्रम योग्य कार्य के क्रम से तथा वाद
तकमीन कार्यवाही जारी जारी रखते हुए निर्णय
[illegible] हेतु दि० 28.5.18 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी